निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 07/अपील/18 तारिख दायराः 10.01.2018

रामचन्दर आ0 कांशीराम तंवर नि0 खानपुरिया तहसील मनोहरथाना
बनाम
राज.सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी आदेश कमांकः अभियोजन/2017/2773
दिनांक 26.09.2017 जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

उपस्थितः– श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांकः 07.02.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश कमांकः अभियोजन/2017/2773 दिनांक 26.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । अपने अपील मेंमों में अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान सेमली हाट–2 का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.09.2017 को जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एंव साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट को प्रताडित करने की नियत से झूठी शिकायत के आधार पर की गई जांच के अनुकम में संयुक्त रूप से की गई जांच में आये वास्तविक व प्रमाणित तथ्यों को नजरन्दाज कर निर्णय जैर अपील खारिज योग्य है। अपीलान्ट की दुकान पर पोस मशीन को संन्चालित करने के लिये पर्याप्त नेटवर्क नही आते हैं और सरकारी योजनाओं के तहत वितरण हेतु पोस मशनी संचालित करना आवश्यक है इसलिये पोस मशीन को पहाडी पर ले जाकर संचालित करना पडता है इसी आपाधापी में अपीलान्ट से गलती हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वंय की गई जांच में 73 उपभोक्ताओं के बयान लिये गये जिसमें से 36 उपभोक्ताओं द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राशन वितरण में आरोप लगाये जिसमें व्यवहार सही नही होना बताया जिनमें से 20 उपभोक्ताओं के नाम खाद्यसुरक्षा सूची में नही हैं,शेष 16 में से 13 उपभोक्ताओं का नाम सूची में है व उनका पोस मशीन द्वारा ट्रांजेक्शन किया जा रहा है केवल 03 व्यक्तियों का ट्रांजेक्शन नही किया गया है व 37 उपभोक्ताओं द्वारा वितरण में सन्तुष्टी जाहिर की व व्यवहार अच्छा बताया गया। अपीलान्ट सही तरीके से राशन सामग्री वितरित कर रहा है सरंपच ग्राम पंचायत सेमली हाट द्वारा अपीलान्ट के पक्ष की गई अनुशंसा पर विश्वास नही कर निर्णय जैर अपील खारिज योग्य है। अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एंव साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट को प्रताडित करने की नियत से झूठी शिकायत के आधार पर की गई जांच के अनुकम में संयुक्त रूप से की गई जांच में आये वास्तविक व प्रमाणित तथ्यों को नजरन्दाज कर निर्णय जैर अपील खारिज योग्य है। अपीलान्ट की दुकान पर पोस मशीन को संन्चालित करने के लिये पर्याप्त नेटवर्क नही आते हैं और सरकारी योजनाओं के तहत वितरण हेतु पोस मशनी संचालित करना आवश्यक है इसलिये पोस मशीन को पहाडी पर ले जाकर संचालित करना पडता है इसी आपाधापी में अपीलान्ट से गलती हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वंय की गई जांच में 73 उपभोक्ताओं के बयान

जिला कलक्टर
झालावाड़

लिये गये जिसमें से 36 उपभोक्ताओं द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राशन वितरण में आरोप लगाये जिसमें व्यवहार सही नही होना बताया जिनमें से 20 उपभोक्ताओं के नाम खाद्यसुरक्षा सूची में नही हैं,शेष 16 में से 13 उपभोक्ताओं का नाम सूची में है व उनका पोस मशीन द्वारा ट्रांजेक्शन किया जा रहा है केवल 03 व्यक्तियों का ट्रांजेक्शन नही किया गया है व 37 उपभोक्ताओं द्वारा वितरण में सन्तुष्टी जाहिर की व व्यवहार अच्छा बताया गया। अपीलान्ट सही तरीके से राशन सामग्री वितरित कर रहा है सरंपच ग्राम पंचायत सेमली हाट द्वारा अपीलान्ट के पक्ष की गई अनुशंसा पर विश्वास नही कर निर्णय जैर अपील खारिज योग्य है। अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे। इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत की जांच करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी झालावाड़ व जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा शिकायतों की संयुक्त रूप से जांच की जाने पर उपभोक्ताओं के बयान लिये गये व उन बयानों के आधार पर डीलर की अनियमितता के परिणाम स्वरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। पत्रावली में निलम्बित डीलर रामचन्द को बहाल करने बाबत उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना द्वारा पंत्राक 1717 दिनांक 30.08.2017 से जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को लिखे गये पत्र की छाया प्रति भी है व ग्राम सभा दिनांक 15.08.2017 के प्रस्ताव संख्या 09 से डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बन आदेश वापस लेने बाबत लिये गये प्रस्ताव की छाया प्रति भी संलग्न है। उक्तानुसार यह तो जाहिर है कि तत्समय सेमलीहाट ।। के उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितता किये जाने पर बाद जांच उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया किन्तु पत्रावली में संलग्न जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा जिला कलक्टर को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट 1114 दिनांक 13.09.2017 में क्रम संख्या 4 इस प्रकार है '' यह कि 36 असन्तुष्ट उपभोक्ताओं की विभाग द्वारा जांच करने पर पाया कि 20 उपभोक्ताओं का खाद्य सुरक्षा सूची में नाम नही है, शेष 16 में से 13 उपभोक्ताओं का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में है, इन्हे पॉस मशीन द्वारा राशन सामग्री दी जा रही है,केवल 3 उपभोक्ता जिनका नाम वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में है, उनका पॉस मशीन द्वारा ट्रांजेक्शन नही किया गया है।'' पत्रावली में संलग्न ग्राम संभा द्वारा लिये गये प्रस्ताव से यह भी जाहिर हुआ है कि सेमली हाट ।। के डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त होने पर उक्त राशन डीलर की दुकान को टोडरी जगन्नाथ से अटेच किया गया है जो 12 से 15 किलोमीटर दूर होना दर्शित है जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितता किया जाना तो जाहिर है किन्तु की गई अनियमितता के फलस्वरूप प्राधिकार पत्र तक निरस्त किये जाने के दण्ड के औचित्य बाबत प्रकरण में पुनः जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण वर्तमान परिपेक्ष्य में पुनः जाचं व निर्णय हेतु जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़